



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275155
CG-DL-E-04082026-275155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4081]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948

No. 4081]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4257(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1668 (अ), दिनांकित 26 मई, 2020 के द्वारा तेलंगाना राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-16 (नई एनएच सं. 63) [किमी.28.00 से किमी.168.00 (अमूर- मंचिर्याल खंड) को छोड़कर] को तेलंगाना राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-63 (पुरानी एनएच सं. 16) के निजामाबाद से जगदलपुर खंड के किमी 180.600 से किमी 223.00 तक खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन खंड के 27.440 किमी [तालिका-2] की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% पर और चार अथवा अधिक लेन के 5.756 किमी [तालिका-2] और 0.84 किमी (0.084 किमी लंबाई वाली

[तालिका-3] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरीय वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात्:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
तेलंगाना राज्य में जिला मंचिर्याल में बावराओपेट गांव के निकट रारा-63 के किमी/चै.203.700 पर	27.44	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	5.756 [(> 60 मी.) लंबाई वाली संरचना को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित टोल प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं [^] की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
तेलंगाना राज्य में जिला मंचिर्याल में बावराओपेट गांव के निकट रारा-63 के किमी/चै.203.700 पर	0.084	0.840	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]4 लेन वाली अवसंरचना का व्यौरा निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	180.770	180.854	बड़ा पुल	0.084
कुल				0.084

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 360 रु. (तीन सौ साठ रुपये मात्र) है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तिथि से एक माह

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 177.119 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यक्षीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एचवाईडी/जेबी-29/एनएच(ओ)/कोर-पार्ट(1)/ ई-269405]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4257(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. No.1668(E) dated 26th May 2020 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the NH no. 16 (new NH no. 63) [Excluding km 28.00 to km 168.00 (Armoor- Mancherla section)] in the State of Telangana to the State Government of Telangana.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate 60% of rate specified in Column (2) of the Table 1 for net road section length of 27.440 km [Table-2] for use of two lane with paved shoulder section and at 100% of the base for net road section length 5.756 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.84 km (having length of 0.084 km [Table-3]) for the use of four or more lane, on the type of vehicle specified in column (1) of the table 1 below, of Nizamabad to Jagadalpura Section from kilometer 180.600 to kilometer 223.00 of National Highway number 63 (Old NH-16) in the state of Telangana and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table – 1	
(1)	(2)
Type of Vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20

Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Const. Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi axle Vehicle (MAV) (Four to Six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table – 2		
Location of Fee Plaza(Chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is Payable
At Km/Ch. 203.700 of NH-63 Near Bavraopet Village in Mancherla District of Telangana State	27.44	60% for two lane with paved shoulders, of base rates mentioned in table-1 above
	5.756 [excluding length of structure (>60m)]	100% for four or more lane, of base rates mentioned in table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table – 3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which Fee is Payable
At Km/Ch 203.700 of NH-63 Near Bavraopet Village in Mancherla District of Telangana State	0.084	0.840	100% for four or more lane, of base rates mentioned in table-1 above

^The details of Four Lane Structure are as under: -

Sl. No	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	180.770	180.854	Major Bridge	0.084
Total				0.084

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.360/- (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 which is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table – 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per the definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of Fee per kilometer for the base year 2007-2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 177.119 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RW/HYD/JB-29/NH(O)/Cor-Part(1)/E-269405]

CHEETNA NAND SINGH, Jt. Secy.